मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रांची, दिनांक: 30/12/2020

मुख्यमंत्री सचिवालय, रांची
विज्ञप्ति संख्या- 972/2020
30 दिसंबर 2020
झारखंड मंत्रालय
=================
बोकारो जिला के गोमिया नगर परिषद को विघटित करने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने दी स्वीकृति, मंत्रिमंडल की ली जाएगी स्वीकृति
================
सितंबर 2018 में गोमिया प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर गोमिया नगर परिषद के गठन की अधिसूचना नगर विकास एवं आवास विभाग ने की थी जारी
===============

बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के 8 ग्रामों को मिलाकर गठित गोमिया नगर परिषद वर्ग- ख को विघटित करने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने स्वीकृति दे दी है । इस प्रस्ताव को अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा । ज्ञात हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 7 सितंबर 2018 को 8 ग्राम को मिलाकर गोमिया नगर परिषद गठित किए जाने की अभिसूचना जारी की थी ।

इन ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद का गठन किया गया था

गोमिया नगर परिषद का गठन गोमिया, पलिहारी गुरुडीह, सराबेड़ा, खम्भरा, स्वांग, पिपराडीह, हजारी और खुदगड्डा ग्रामों को मिलाकर किया गया था । इसकी कुल आबादी 48,141 (

वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक) है, जबकि जनसंख्या घनत्व 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है ।गोमिया नगर परिषद का कुल क्षेत्रफल 66.40 वर्ग किलोमीटर है ।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जताई थी आपत्ति

गोमिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के मुखिया , स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गोमिया नगर परिषद के गठन पर आपत्ति जताई थी ।उनका कहना था कि नगर परिषद क्षेत्र में शामिल संपूर्ण क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति की है तथा अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है । दैनिक एवं दिहाड़ी मजदूर काम के लिए अन्य क्षेत्रों में पलायन करते हैं । ऐसे में नगर परिषद के गठन होने पर जनता पर कर का बोझ बढ़ेगा , इसलिए नगर परिषद के गठन से संबंधित अधिसूचना को वापस लिया जाए । उक्त आपत्तियों को लेकर बोकारो के उपायुक्त से मंतव्य लेने और दिए गए सुझाव के उपरांत गोमिया नगर परिषद को विघटित करने का प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया गया ।

###

================

#TeamPRD(CMO)